वॉइस ऑफ ओबीसी

सहयोग राशि रु. 5/-

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी
अंक 5-6 संयुक्तांक अक्टूबर-दिसम्बर'09

नव वर्ष की शुभकामनाएं

एक पेड़ लगाएं
दो चार भूखों को खाना खिलाएं
नए वर्ष में कुछ करें न करें
एक अनपढ़ को पढ़ना सिखाएं

- जयनंदन
भारतीय ज्ञानपीठ युवा पुरस्कार
विजेता 1991, मूर्धन्य साहित्यकार

बाल श्रम (प्रतिशेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और नियम

धारा - 2(II) ''बालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का चौदहवाँ वर्ष पूरा नहीं किया है।
(अ) अधिष्ठाता के संबंध में कुटुम्ब से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी और उनकी संतान और ऐसे व्यक्ति का भाई या बहिन

धारा - 14 शास्तियाँ (प) जो कोई किसी बालक के धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करेगा या काम करने के लिए अनुज्ञात करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा। किंतु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

Constitution of India

Article 23 : (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced lanourare prohibitedand any contravention of this provision shall be and offence punishable in accordandce with law.
(Supreme court has issued elaborate guidelinces to child labour shall not be engaged in hazardous emplyment. There shall be set up child labour rehabilitation welfare fund in which offendng employer should deposit Rs. 20000. Adult member of such child should be given employment.)

Article 24 : No child below the age of fourteen years shall be employed to work in an factory or mine or ingaged in any other hazardous employment.

Article 45 : "The state shall endeveavour to provide, with a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years"

अखिल भारतीय यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारी कल्याण संघ ने चौथा वार्षिक अधिवेशन 19-20 दिसम्बर को हैदराबाद में मनाया

अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए (बाएँ) पार्लियामेन्टरी फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज् के कन्वेनर एवं माननीय सांसद श्री वी. हनुमंत राव एवं (दाएं) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यपालक निदेशक माननीय श्री एस.सी. कालिया।

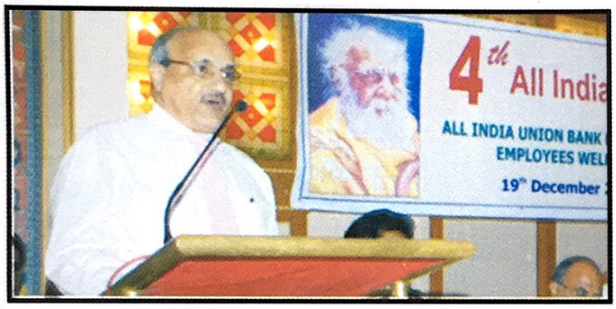

अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए (बाएँ) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के महाप्रबंधक एवं केन्द्रीय कार्यालय में अन्य पिछड़े वर्गो के संपर्क अधिकारी श्री वी.के. खन्ना एवं (दाएं) अधिवेशन में उपस्थित अतिथिगण, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी.

अधिवेशन के उद्घाटन सत्र एवं प्रतिनिधि सत्र के दौरान संगठन के पदाधिकारी अपनी बात रखते हुए : (बाएँ से) अध्यक्ष श्री रवीन्द्र राम, महामंत्री श्री जी. करुणानिधि, सचिव अमृतांशु एवं वी. लक्ष्मी शेखर, संगठन मंत्री जे. अशोकन एवं उपाध्यक्ष जी. मलाररोडी।

सम्यक समाज : 26 नवम्बर को सम्यक समाज ने अपने कार्यालय जानकी वाटिका, पहड़िया, वाराणसी के सभागार में बैठक की जिसमें संस्था के संरक्षक द्वय डा.एस.एस. कुशवाहा और श्री सूबेदार राम साहब उपस्थित हुए। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री अमृतांशु एवं महामंत्री श्री नंदकिशोर ने सामाजिक न्याय के संदर्भ में अपने संघर्ष को अधिक स्थाई करने के लिए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। आयकर अधिकारी श्री मुसाफिर एवं यूबैओबीसीककसं के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र राम बैठक में उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त किए। बैठक का संचालन उपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार मौर्य ने और धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष डा. हेमन्त कुशवाहा ने किया।

वॉइस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की द्विमासिकी

अंक - 5, 6 - संयुक्तांक अक्टूबर-दिसम्बर 09

संपूर्ण संचालन अवैतनिक

(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)

परामर्श

जी. करुणानिधि, जे. पार्थसारथी

रवीन्द्र राम

प्रकाशक

रानी अमृतांशु

संपादक

अशोक आनंद

9415224153

मानद संपादक

अमृतांशु

9415392194

मानद सह संपादक

डा. हेमन्त कुशवाहा

9453359701

विनोद प्रसाद शर्मा

9415889947

नवीन कुमार यादव

9305310507

प्रबंधक

अरविंद कुमार

सहयोग

बसंत आर्य, सुनील कुमार, अशोक कुमार, विजय कुमार, डी.डी. प्रसाद, उमेश कुमार कुमार शशि, उपेन्द्र कुमार पाल, जयशंकर कुमार, मो. जलालुद्दीन, ऋषिकांत प्रसाद

पत्राचार

ई-मेल : aiobc.up@gmail.com

द्वारा- होटल सुरभि इण्टरनेशनल

पहड़िया, वाराणसी-221007

सहयोग राशि : 5 रुपये

डाक खर्च के साथ वार्षिक सहयोग 50/- डीडी/चेक "Voice of OBC" के नाम वाराणसी में देय भेजें।

प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल की वैचारिक सहमति आवश्यक नहीं।

समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य।

मुद्रक

प्रतीक प्रिंटर, नाटी इमली, वाराणसी

हम उनके लिए क्या करते है ?

विकास ! विकास ! और विकास ! ताकतवर देश भारत, प्रगतिशील देश भारत, विकसित राष्ट्र भारत। हम श्रेष्ठ, हमारी सभ्यता श्रेष्ठ, हमारी परम्पराएँ श्रेष्ठ..... और न जाने क्या क्या...। लेकिन इस सुन्दर और सफल प्रतीकों के पीछे के भारत को भी जानना और समझना चाहिए। किस भारतीय को राष्ट्र प्रेम नहीं होगा। लेकिन विवेचन का अधिकार और सामर्थ्य इस राष्ट्र प्रेम को और गाढ़ा करता है। काश कि हमारा भारत ऐसा होता जहाँ कि सामाजिक संरचना जातियों की श्रेष्ठता में न बँटी होती। जहाँ जन्म से कोई छोटा और कोई श्रेष्ठ में विभाजित न कर दिया जाता हो।

काश कि हमारा भारत ऐसा हो जहाँ हर नागरिक को मेहनत करने का पूरा अवसर मिले। जहाँ भूखा न सोए, जहाँ खेलने, कूदने और पढ़ने की उम्र में बच्चों को पेट भरने के लिए मजदूरी न करनी पड़े।

काश कि हमारा भारत ऐसा हो जहाँ किसी भी आदमी को अपने सम्मान की लड़ाई में अपना मूल्यवान समय और अपनी ऊर्जा न लगानी पड़े और वह राष्ट्र के विकास के लिए सोच सके। इस बार हम भारतीय बाल मजदूरों पर विमर्श करते हैं बाल श्रम एक स्वस्थ समाज के लिए अभिशाप है।

कुछ लोगों का मानना है कि बाल मजदूरी को खत्म करने की बातें करना केवल खानापूर्ति की तरह है और इन बातों का कोई बहुत व्यापक प्रभाव पूर्ण तर्क सामने आता नहीं दिखता। मसलन वे कहते है कि यदि अभागे बच्चे बाल मजदूरी नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएँगें। पढ़ना तो इनके लिए पेट भरने की बाद की स्थिति है और प्रश्न भी। निःसंदेह इन प्रश्नों के लिए सरकारी मशीनरी कटघरे में खड़ी होती है। परन्तु साथ ही सारी जिम्मेदारी सरकारी मशीनरियों पर डालकर अपना पल्ला झाड़ देना हम सभी भारतीयों के लिए बहुत श्रेयस्कर हल नहीं है।

क्या हमारे बीच कुछ लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने बाल श्रम को खत्म करने के बजाए उसे बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई है। क्या ऐसे बहुतेरे परिवार नहीं जिनके घरों में, दुकानों में, होटलों में, मिलों में, कारखानों में, छोटे-छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं। जिनकी उम्र 14 साल से कम हैं। आखिर क्यों ?

क्या यह सच नहीं है कि जिस वक्त एक छोटी सी लड़की किसी के घर चाय के प्याले धो रही होती है ठीक उसी वक्त घर के उनके अपने बच्चे झूले झूल रहे होते हैं या टी.वी. पर कार्टून देख ठठाकर हँस रहे होते है। और इस हँसी में उस प्याले धोती छोटी बच्ची की सारी कोमल भावनाएँ मुरझाकर दब जाती है। ऐसे बहुत सारे सच हमारे आपके बीच हैं, जिन पर हम शर्मिन्दा होना नहीं चाहते। बल्कि तुर्रा यह कि उसकी विवशता को हम अपने विवेक से जायज ठहराते हैं। भारत में बाल मजदूरों की वास्तविक स्थिति को देखें तो इनकी संख्या सरकारी आँकड़े के अनुसार 20 मिलियन है जब कि अन्य संगठन और क्षेत्र इसे 50 मिलियन बताते हैं। इनमें से अधिकतर बच्चे विषम और अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में मिलों में, ईंट भट्टों के कारखानों में काम करने को विवश हैं। गाँवों, अर्धशहरी क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रो में, ढाबों में, भोजनालयों और घरों में भी सफाई कर्मियों के रुप में कार्य करते हैं।

बाल मजदूरों का बड़ा हिस्सा शोषित समुदाय से आते हैं। जहाँ इनके कार्य करने का समय निर्धारित नहीं है। गंदे और अस्वास्थयकर माहौल में काम करते हैं। कम वेतन पाते हैं। शिक्षा और मनोरंजन, सहानुभूति, प्यार और पौष्टिक आहार से वंचित ये अभागे बच्चे बड़ी मुश्किल से अपने बचपन को जी पाते हैं।

गरीबी इनका मुख्य कारण है। बालश्रम एक निराशजनक स्थिति है जिनसे मुक्ति के प्रयास करने चाहिए। भोजन का एक छोटा सा हिस्सा खाकर आठ घंटों से ज्यादा काम करते हैं। अधिकांश बच्चे निर्वाषित होता है। जिनका अपना घर नहीं होता है। ये काम की जगह पर ही सो जाते हैं जो कि इन बच्चों के लिए हानिकारक होता है। सच यह भी है कि 75 प्रतिशत जनसंख्या भारत की गाँवों मे रहती है। ऐसे बच्चों के परिवार वाले, परिवार के ही दूसरे छोटे बच्चों को पालने और परवरिश की खातिर उन्हे काम पर भेज देते हैं क्योंकि इन परिवारों के पास आपका कोई जरिया नहीं होता।

बाल श्रम पर विस्तृत जानकारी के लिए हमें इसके शाब्दिक अर्थ और इनसे जुड़े कानूनों और दूसरे देशों में इनकी स्थिति पर जानना आवश्यक है।

बाल श्रम :

यहाँ श्रम से तात्पर्य उस काम से है जो पूर्ण काल (full time) व्यावसायिक कार्य में संलिप्त, स्वयं के लिए अथवा परिवार के आय में वृद्धि के लिए आय अर्जित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन 138 (L-138) में यह प्रतिपादित किया गया कि जिन बच्चों द्वारा स्कूल की शिक्षा के बाद सीखने और कमाने के उद्देश्य से (3-4 घंटे) पार्ट टाइम के लिए काम किया जाता है उसे बाल श्रम के दायरे में नहीं रखा जायेगा।

बाल श्रमिकों के प्रतिशत उनकी पूरी जनसंख्या का इस प्रकार है

देश के नाम	प्रतिशत	देश के नाम	प्रतिशत
एशिया	13 %	बंगलादेश	30.0 %
अफ्रीका	26.3 %	चीन	11.6 %
भारत	14.4 %	पाकिस्तान	17.7 %
टर्की	24.0 %	इजिप्ट (मिस्र)	11.2 %
केन्या	41.3 %	नाइजिरीया	25.8 %
सेनेगल	31.4 %	अर्जेंटिना	4.5 %
ब्राजील	16.1 %	मेक्सिको	6.7 %
इटली	0.4 %	पुर्तगाल	1.8 %

(उपरोक्त आँकड़े 10-14 वर्ष के बीच के हैं। 10 वर्ष के नीचे के बच्चों के आँकड़ों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है) - स्रोत - नेट

बाल श्रम का घृणित रुप बच्चों का यौन शोषण और अश्लील फिल्मों का निर्माण है। कुछ बच्चे इनके माँ-बाप द्वारा सेठों को पैसे के लिए बेच दिए जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि सड़को, फुटपाथों पर जीने वाले या मनोरंजन करने वाले, कूड़ा बीनने वाले, बाल यौन शोषण या मोडलों मे लिप्त बच्चे, भिखारी आदि प्रायः ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई प्राकृतिक माँ बाप नहीं होते जो गैंगस्टर और गिरोहों के शिकार होते हैं। ये बच्चे प्रायः अवैध संबंधों के परिणाम होते हैं जो गरीब और खानाबदोश होते हैं।

संविधान की धारा 24 कहती है - बाल श्रम अपराध है यहाँ बाल श्रम का तात्पर्य ''14 वर्ष से कम के बच्चों द्वारा स्वयं के पेट भरने के लिए काम करना या अपने परिवार की आमदनी में सहयोग करने के लिए काम करना बाल श्रम कहलाता है। महामना रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि ''प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व है कि वह अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाएं''।

आइए, हम संकल्प करें कि यथा संभव अपने देश से बाल श्रम को खत्म करने में अपना सहयोग दिखाऐंगे।

अमृतांशु

ब्लॉग : signpost2.blogspot.com

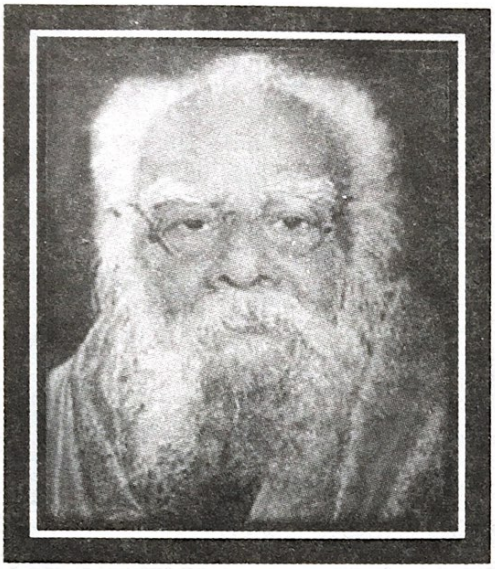

पेरियार

ई0 वी0 रामासामी

1878 - 1973

भारतवर्ष के इतिहास में संगठित होकर सामाजिक उत्थान का कार्य करने वाले समाज सुधारकों का आभाव सा ही रहा है। पेरियार ई. वी. रामासामी पिछड़ों, दलितों एवं स्त्रियों के उत्थान के लिए लड़ने वाले उग्र, क्रान्तिकारी एवं संगठित तरीके से कार्य करने वाले समाज सुधारक, विचारक योद्धा थे।

पेरियार ई. वी. रामासामी का जन्म 17 सितम्बर 1879 को तमिलनाडु के इरोड कस्बे में एक धनी प्रतिष्ठित व्यापारी श्री वेंकट नायकर के घर में हुआ था, जो हिन्दू धर्म के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। आपकी माता का नाम चिन्ना थयम्मल था। छः वर्ष की आयु में आपकी प्राथमिक शिक्षा शुरु हुई, परन्तु आपका छात्र जीवन 5 वर्ष बाद 10 वर्ष की आयु में ही समाप्त हो गया। 1891 में 12 वर्ष की आयु में आप अपने पिता के साथ व्यवसाय में लग गये। 1898 में 13 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह नागम्मल के साथ हुआ। 1900 में आपको प्रथम सन्तान कन्या के रुप में प्राप्त हुई, जो 5 माह की अल्पायु में ही काल कलवित हो गयी। इस पुत्री की मृत्यु के बाद पेरियार को कोई दूसरी संतान नहीं हुई।

पेरियार रामासामी ने कम उम्र में ही हिन्दू धर्म में व्याप्त कुरीतियों, काल्पनिक धर्म कथाओं पर उँगली उठाना शुरु कर दिया था। 1895 में 16 वर्ष की उम्र में ही आपने घर में होने वाली पूजा में धर्म गुरु से धार्मिक अन्धविश्वासों पर तर्कपूर्ण बहस की।

1904 में अपने पिता के कड़े व्यवहार के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। पहले वह विजयवाड़ा गये फिर हैदराबाद एवं कलकत्ता गये। अंत में वह काशी पहुँचे। पेरियार के पास धन नहीं था उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर किसी धर्मशाला में भोजन कर लूँ। वहाँ धर्मशालाओं में ब्राह्मणों को निःशुल्क भोजन कराया जाता था। परन्तु उन्हें वहाँ पर कभी भी भोजन नहीं मिला। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद, उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाने के लिए जनेऊ पहना और ब्राह्मण के वेश में धर्मशाला में प्रवेश करने लगे परन्तु दरबान ने उनकी मूछों के कारण उन्हें अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया, उन्हें अपमानित करके गली में ढकेल दिया। असहनीय भूख से उनका बुरा हाल हो गया उन्हें जूठे पत्तलों से भोजन के लिए गली के कुत्तों से संघर्ष करना पड़ा, उसी समय उनकी नजर दीवार पर लिखी इबारत पर पढ़ी जिसमें उन्होंने देखा कि यह धर्मशाला एक धनी द्रविण व्यवसायी द्वारा बनवायी गयी थी जो तमिलनाडु का रहने वाला था। उसी समय उनके दिमाग में यह प्रश्न उठा कि ब्राह्मण किस तरह से और क्यूं किसी द्रविण द्वारा बनवाई गई धर्मशाला में ही खाने से रोक सकते हैं और भूखे मरने के लिए छोड़ सकते हैं। इस घटना ने पेरियार के मन में घृणा पैदा कर दी, उनके मन में पवित्र काशी में होने वाली अनैतिक गतिविधियों, वेश्यावृत्ति, ठगी, लूट, भिखारियों के झुण्ड और गंगा में बहती हुई लाशों से घृणा पैदा हो गयी। वह काशी छोड़कर घर लौट गये। घर लौटने पर उनके पिता ने अपना सारा व्यापार उन्हें हस्तगत कर दिया और उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर ई.वी. रामासामी नायकर मण्डी कर दिया।

1906 में उनकी मित्रता पुलवर मरुधया पिल्लौ एवं कैवलम नामक दो तमिल विद्वानों से हुई। उनके तर्कसंगत प्रतिवादों और हिन्दू धर्म में व्याप्त बुराईयों, जातिवाद, वेदों की धोखा देने वाली कपोल कथाओं के बारे में उनके तार्किक विश्लेषणों से पेरियार के विचारों में आए बदलावों को और दृढ़ता मिली। पेरियार और उनके मित्रों के तर्कपूर्ण प्रतिवादों से इरोड और करुर के ग्रामीण बहुत प्रभावित हुए।

कुरीतियों के प्रति अपनी वैचारिक दृढ़ता को धीरे-धीरे पेरियार ने मूर्त रुप देना शुरु कर दिया। 1909 में उन्होंने अपने रुढ़िवादी परिवारजनों के विरोध के बावजूद अपनी बहन की 9 वर्ष की आयु में विधवा हुई पुत्री का पुर्नविवाह करवाया।

पेरियार का मानना था कि हमारे धर्म ग्रन्थों की काल्पनिक कथाओं ने हमारे विचारों एवं शक्तियों को क्षीण कर दिया है। हम मन की शक्ति से हवा में उड़ने की कल्पना करते हैं परन्तु पाश्चात्य विचारक मशीन चलित यंत्र से हवा में उड़ने की कल्पना करते हैं और उसे मूर्त रुप देने में सफल होते हैं। हमें अपने विचारों को दृढ़ एवं तर्क संगत बनाना होगा।

14 अप्रैल 1924 को पेरियार ने केरला के बैकम नामक एक छोटे से कस्बे में हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से एक बड़े आन्दोलन को अनवरत चलाने हेतु नियत किया। बैकम केरला प्रान्त का एक छोटा सा कस्बा जहाँ मंदिरों और समाज में अस्पृश्यता का बोलाबाला था। हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। पेरियार के इस आंदोलन का गाँधी जी ने भी विरोध किया था। परन्तु पेरियार 14 अप्रैल को वहाँ अपनी पत्नी के साथ गये और वहाँ पर पेरियार और उनके साथियों द्वारा तब तक इस व्यवस्था का विरोध किया गया जब तक की यह व्यवस्था समाप्त नहीं हो गयी। इस घटना के बाद पेरियार को विक्कम वीरम की उपाधि प्रदान की गयी।

गाँधी जी कहते थे कि हरिजनों को यदि कुओं और तालाबों में पानी नहीं पीने दिया जाता तो उनके लिए अलग से कुएँ खोदने चाहिए, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाए तो उनके लिए अलग से मंदिर बनवाएं जाने चाहिए। लेकिन पेरियार गाँधी जी के इन विचारों और तर्कों से सहमत नहीं थे। वे कहते थे कि हमारी लड़ाई पानी और मंदिरों के लिए नहीं है अपितु सम्मान के लिए है। वे कहते थे कि अछूतों को यदि पानी नहीं पीने दिया जाता और भारतीय व्यवस्था में कोई बदलाव की कोई गुंजाईश नहीं बनती तो बेहतर है कि वे प्यासे मर जाएँ।

पेरियार कहते थे कि जिस तरह से माँ अपने सभी बच्चों को प्यार करते हुए अपने कमजोर बच्चों का विशेष ध्यान रखती है उसी तरह से समाज में कमजोरों और पिछड़ों का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए।

पेरियार जब अपने सहयोगी अझागिरी सामी के दाह संस्कार के लिए गए वहाँ उन्होंने देखा कि अछूतों के लिए अलग स्थान पर दाह संस्कार की व्यवस्था है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस भेद भाव पूर्ण व्यवस्था पर विरोध जताया। परिणाम स्वरुप यह भेदभाव पूर्ण व्यवस्था खत्म करवाई गयी।

23 सितम्बर 1952 को आपने बुद्ध दिवस के रुप में मनाने का आह्वान किया और मूर्ति पूजन को महत्वहीन साबित किया।

1916 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी की नींव रखी एवं अपने सिद्धांतों के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया। 1944 में एक जनसभा में उन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम बदल कर द्रविण कझगम करने की घोषणा की। आपने अपनी पार्टी के माध्यम से अश्पृश्यता खत्म करने के लिए, नारी मुक्ति के लिए, नारी शिक्षा के लिए, स्वेच्छा विवाह के लिए, विधवा विवाह के लिए, अनाथों के पुर्नवास के लिए अनवरत संघर्ष किया।

पेरियार स्त्रियों की दयनीय दशा को भी सुधारना चाहते थे। उनका मानना था कि स्त्रियाँ भोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सजी-धजी गुड़िया मात्र नहीं है। उन्हें केवल रसोई तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए जागरुक होना चाहिए।

पेरियार विवाह समारोहों में होने वाले खर्चों को भी सीमित रखने को कहते थे। उनके विचार से विवाह समारोह में होने वाला खर्च भी व्यक्ति की 15 दिन की आमदनी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

पेरियार मंदिरों में देवदासी प्रथा का भी विरोध करते थे, वे मानते थे कि देवदासियाँ मंदिरों की वेश्याएँ है। यह नारी शोषण का एक बहुत ही घिनौना रुप है।

पेरियार ने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। 1922 के तिरुपुर अधिवेशन में पेरियार को मद्रास कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन में उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वकालत की जिसका विरोध हुआ परिणाम स्वरुप क्षुब्ध होकर 1925 में पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी।

भारतीय संविधान के लागू होने के बाद मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के विरोध में याचिकायें दाखिल की गई, जिसके परिणामस्वरुप शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया गया। पेरियार ने इस फैसले के विरोध में सभाएँ की और दबाव बनवाकर 1951 में प्रथम संशोधन अनुच्छेद 15 में करवाया, जिससे शिक्षण संस्थाओं में दलितों एवं पिछड़ों के प्रवेश का रास्ता अवरुद्ध होने से बचा रहा।

1952 से 1954 के बीच राजगोपालाचारी मद्रास के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्कूलों में छात्रों को कुल कलविधट्टम योजना के अंतर्गत अनिवार्य रुप से उनको पैत्रिक व्यवसाय सिखायें जाते थे। पेरियार ने इसका विरोध किया फलस्वरुप राजगोपलाचारी को पद त्याग करना पड़ा। बाद में के. कामराज ने मुख्यमंत्री का पद संभाला और कुल कलविथट्टम योजना खत्म कर दिया।

पेरियार कहते थे कि मुझे जाति, धर्म में विश्वास नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों की भलाई करना है। पेरियार मानते थे कि मेरे विचार ही मेरे वारिश हैं।

इस तरह अनवरत संघर्ष करते हुए 23 दिसम्बर 1973 ई.वी. रामासामी पेरियार ने इस लोक से विदा ले ली।

डॉ. हेमन्त कुशवाहा

अखिल भारतीय यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारी कल्याण संघ का चौथा वार्षिक अधिवेशन हैदराबाद में सम्पन्न

अखिल भारतीय यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ का चौथा वार्षिक सम्मेलन हैदराबाद में 19-20 दिसम्बर को सम्पन्न हुआ।

उद्घाटन सत्र : शनिवार, 19 दिसम्बर 09, ताजमहल होटल

संध्या 6 बजे ताजमहल होटल के सभागार में उद्घाटन सत्र का आरम्भ हुआ। संगठन के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र राम ने सभी माननीय अतिथियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के समय से ही संगठन को यूनियन बैंक के उच्च प्रबंधन की ओर से सदैव सहयोग मिलता रहा है एवं संगठन ने अपने ओबीसी कर्मचारियों के हितों के लिए व्यापक काम किया है।

मंच पर स्वागत समिति के सदस्य उपस्थित थे जिन्हें संगठन की तरफ से मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया।

महासचिव जी. करुणानिधि ने अपने संबोधन में सामाजिक न्याय के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला। यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ओबीसी कर्मचारियों के लिए किए गए कार्यों और सहयोग की सराहना की। उन्होंने प्रबंध निदेशक श्री एम.वी. नायर और महाप्रबंधक, कार्मिक श्री यू.बी. रायरीकर एवं विभाग की पूरी टीम द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के प्रति आभार प्रकट किया। जिन वजहों से ओबीसी कर्मचारियों को लाभ पहुँचे है। सब स्टॉफ से अधिकारी संवर्ग तक की प्रोन्नति परीक्षाओं में 3 दिनों के लिए प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण, ओबीसी प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण प्रबंधन पर कार्यशाला, विभागीय अनुशासनात्मक कारवाईयों पर कार्यशाला संगठन के लिए कार्यालय का प्रावधान एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर औद्योगिक संबंध वार्ता की अनुमति कुछ द्रष्टव्य उदाहरण है। उन्होंने संपर्क अधिकारी श्री वी.के. खन्ना के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया, जिनसे हर स्तर पर सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है।

उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा कि भारत में सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में यूनियन बैंक अप्रतिम रुप में सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने वाला एक मात्र बैंक हैं, जिसने ओबीसी कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान किया है।

इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि यूनियन बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस.सी. कालिया थे। संगठन ने श्री एस.सी. कालिया द्वारा अधिवेशन के उद्घाटन करने की स्वीकारोक्ति पर अपना आभार प्रकट किया।

संगठन में ''पार्लियामेंटरी फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज'' के कन्वेनर श्री वी. हनुमंत राव, माननीय सांसद की सभा की अध्यक्षता स्वीकार करने पर हार्दिक आभार व्यक्त किया। श्री वी. हनुमंत राव के संदर्भ में बोलते हुए महासचिव करुणानिधि ने कहा कि इन्होंने विगत कई वर्षो से लगातार सरकार के साथ ओबीसी से जुड़े मुद्दों को उठाते रहें हैं। उन्होंने यह कहते हुए सम्मान व्यक्त किया कि इनके प्रयासों का प्रतिफल है कि 2006 में शिक्षा बिल लागू हो सका। जिसके द्वारा ओबीसी छात्रों को 27 प्रतिशत का आरक्षण एवं जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में आरक्षण लागू हो सका। श्री हनुमंत राव ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री से मिलकर ओबीसी के लिए संसदीय समिति गठित करने की मांग को न्याय संगत बताया, ताकि विभिन्न विभागों में पदस्थ पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा किया जा सके। श्री हनुमंत राव ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य आयोग की तरह समुचित अधिकार दिये जाने की वकालत की है।

अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि यूनियन बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस.सी. कालिया ने हैदराबाद में संगठन द्वारा उनके आत्मीय स्वागत करने पर धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बैंक ने ऐसे विभिन्न मानक अपनाएं हैं जिससे अन्य पिछड़े वर्गो के कर्मचारियों को लाभ पहुंचे हैं।

महाप्रबंधक एवं ओबीसी के संपर्क अधिकारी श्री वी.के. खन्ना ने संगठन द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं अपने सदस्यों के बीच बैंक के विकास के लिए प्रोत्साहित करने वाले उठाए गए कदमों की सराहना की।

संगठन मंत्री श्री जे. अशोकन ने उपस्थित सभी माननीय अतिथियों, प्रतिनिधियों, सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन किया। मंच का संचालन श्रीमती जी. मलारकोडी ने किया और सचिव अमृतांशु ने विभिन्न संगठनों, क्षेत्र प्रमुखों की तरफ भेजे गए शुभकामना संदेशों का पाठ किया.

20 दिसम्बर 2009 को हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया यूनियन बैंक बैकवर्ड क्लासेज इम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन के चौथे अधिवेशन में सम्पन्न हुए आम बैठक में निर्वाचित संगठन के पदाधिकारियों एवं केन्द्रीय समिति सदस्यों के नाम

अध्यक्ष	: रवीन्द्र राम	वाराणसी
उपाध्यक्ष	: वी. ए. पामकर	मुम्बई
	: पी. के. साहू	भुनेश्वर
	: श्रीमती जी.मलारकोडी,	चेन्नई
महासचिव	: जी. करुणानिधि	चेन्नई
संगठन सचिव	: जे. अशोकन	केरल
कोषाध्यक्ष	: एम. आनंदन	चेन्नई
सचिव	: जी.एल. कुंडलवाल	अहमदाबाद
	: अमृतांशु	वाराणसी
	: वी. लक्ष्मीशेखर	हैदराबाद
	: एस. सेकरन	चेन्नई

केन्द्रीय समिति सदस्यों के नाम

आन्ध्र प्रदेश
1. बी. मुरहरि, हैदराबाद
2. पी. नाग नरसिम्हाराव, विजग
3. पी. नागेश्वर राव, उप्पलापाडु
4. श्री निवास राव, नेलौर

बिहार
5. भारत भूषण, पटना
6. अभय कुमार, पटना
7. अभिषेक पंकज, पूर्णिया
8. दयानंद प्रसाद, पटना
9. नीतिन कुमार, किशनगंज

झारखण्ड
10. शशि कुमार लाल, रांची

मध्य प्रदेश
11. संजीव कुमार, जबलपुर

केरला
12. पी. कन्नन, पूजापुरा
13. ए. एस. मुस्तफा, चन्द्रानगर
14. पी.के. अरविंदअक्षण, निलिश्वरम

मुम्बई
15. सुश्री सुनंदा घोषालकर, एम.एस. मार्ग
16. जे. पी. पुबलराजन, के.का.

महाराष्ट्र
17. सुभाष सहाणे, पुणे

उड़ीसा
18. भगवान प्रधान, मधुपटना
19. भागीरथी साहू, भुनेश्वर

तमिलनाडु
20. एम. कन्नडासन, कुम्बकोनम
21. बी. कृष्णामूर्ति, पालिकोण्डा
22. एन. दुरई, कोनावत्तम
23. अरुणाचलम, चेन्नई
24. आर.राजू, सलेम

राजस्थान
25. बी. एम. सैनी, चुरु
26. सुरेन्द्र सहारन, जयपुर

उत्तर प्रदेश
27. विनोद कुमार प्रजापति, मेरठ
28. अशोक कुमार, वाराणसी
29. विनोद प्रसाद भार्मा, गाजीपुर
30. नवीन कुमार यादव, लखनऊ
31. कुमार शशि, गोरखपुर
32. सुनील कुमार, जौनपुर

वेस्ट बंगाल
33. प्रकाश मजुमदार, सिलिगुड़ी
34. समर सिन्हा

गुजरात राज्य से नामित के.का. सदस्य शीघ्र ही सूचित किए जाएंगे।

RESOLUTION

Resolutions adopted at the General Body Meeting of ***All India Union Bank (OBC) Employees Welfare Association*** held on 20.12.09 at Hotel Jaya International Abids, Hyderabad.

This General Body Meeting demands the Central Government to immediately consider and implement the following matters relating to the welfare of backward classes.

1. To constitute a Parliamentary Committee of OBC.
2. Constitutional powers to National Commission for Backward Classes.
3. To conduct caste-wise enumeration in Census 2011.
4. To implement the Mandal Recommendations relating to :
   a. Reservation in promotion.
5. **Certain relaxations/ concession viz :**
   a. Pre-recruitment training to OBC candidates appearing for the examination conducted by government and public sector undertakings including banks.
   b. Concession in examination fees.
   c. Pre-promotion training to OBC employees appearing for the departmental promotion test.
   d. OBC member in the interview / selection committee.

This General Body Meeting demands the Union Bank of India management to consider the following :

- Adequate manpower in Union Bank of India to have better customer service considering the increased business and retirements of staff.

Estd. 2008 Serve & Survive Reg. No. 3933/2008-09

WELFARE SOCIETY OF OTHER BACKWARD CLASSES

Camp : 645/A/421A, Janki Vihar, Janki Puram, Lucknow -226021 (U.P.)
Mob. : 9161896287, www.wso.org.in, e-mail : wso2009@yahoo.com, energycudator.rkv@gmail.com

Ref. 040110/wso/lko

Date : 04/01/2010

ओबीसी समाज-अवसरों का मोहताज

जनसंख्या की दृष्टि से 54 प्रतिशत ओबीसी को संविधान में सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। परन्तु यह आजाद देश की सबसे बड़ी विडम्बना ही होगी कि प्रदेश को किसी भी विकास में किसी भी स्तर पर कुल संस्तुत पदों के 27 प्रतिशत पद ओबीसी से भरे गये हो। टाइम्स आफ इंडिया लखनऊ संस्करण दिनाँक 14-11-09 ने ओबीसी के नगण्य प्रतिनिधित्व के संदर्भ में यू पी पी सी एल विभाग के बारे में विस्तृत रिपोर्ट छापी थी।

आजादी के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी प्रदेश में ओबीसी समाज को क्लास वन की नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है। क्योंकि प्रदेश स्तर पर क्लास वन की नौकरियों के लिए कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाती है बल्कि क्लास वन के सारे पद पदोन्नतियों द्वारा भरे जाते हैं। पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातिय ओबीसी के नगण्य प्रतिनिधित्व को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने शासनादेश सं. 3977-अ/40-ग. एकी - 6 (13) 77 दिनाँक 13 जनवरी 1978 द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। परंतु कुछ ओबीसी समाज विरोधी तत्वों ने शासनदेश सं. 5119/40-1-81-55 (28) 80 लखनऊ दिनांक 30-09-1981 द्वारा ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का पदोन्नतियों में आरक्षण जारी रखा।

वर्तमान में क्लास वन की नौकरियों में अनुसूचित जाति के लोग 21 प्रतिशत व अनु.जनजाति के 2 प्रतिशत लोग पदोन्नतियों में आरक्षण के कारण पदों पर सुशोभित है। शेष 77 प्रतिशत पदों के अधिकांश पदों पर सामान्य वर्ग के लोग विराजमान है। इसलिये ओबीसी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व क्लास वन की नौकरियों में नगण्य है। चूँकि जब क्लास टू क्लास वन में पदोन्नति नहीं होती है तो क्लास टू में भर्ती हुये लोग क्लास टू से ही रिटायर हो जाते हैं। क्लास 3 व क्लास 4 को ओबीसी के लोग इसी तरह जिस पद पर भर्ती होते ही उसी पद से रिटायर होने के लिए बाध्य है। इससे समाज में सबसे बड़ा गलत संदेश तो यह जा रहा है कि ओबीसी के लोग उच्च पदों पर शायद इसलिये नहीं है कि क्योंकि इनमें प्रतिभा की कमी होगी। इसी संदेश के कारण ओबीसी समाज कुण्ठाग्रस्त हो रहा है।

अतः इस व्यवस्था को ओबीसी समाज के शोषण की चरम सीमा की संज्ञा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि ओबीसी समाज को न तो पदोन्नतियों में आरक्षण ही दिया गया है (जो दिया भी गया था इसे समाप्त कर दिया है) और ना ही उन्हें प्रतियोगिता में बैठने का अवसर दिया जा रहा है (राज्य स्तर पर क्लास वन अधिकारियों के लिए) और उन्हें प्रतिभाहीन की संज्ञा मात्र इसलिये दी जा रही है कि उनकी उच्च पदों पर संख्या नगण्य है। ओबीसी समाज अवसर चाहता है। लेकिन इस सामाजिक संरचना के संवेदन शून्य परिवेश में उनकी सुनेगा कौन?

(आर. के. वर्मा)
महासचिव

अशोक आनन्द

बुद्ध-धम्म ही क्यों ?

सृष्टि की उत्पत्ति के साथ प्राणी-विकास की क्रिया प्रारम्भ हुई। लाखों साल की विकास यात्रा में मनुष्य सृष्टि के चरम विकास व सर्वोत्तम उत्पाद के रुप में प्रस्तुत है। ऐसा कथन करके हम मनुष्य को हरगिज अहंकारी नही बनाना चाहते बल्कि उसे आईना दिखाना चाहते हैं। एक ऐसा आईना जिसमें मनुष्य अपनी विशालता व महत्ता के साथ-साथ अपनी तुच्छता व विद्रूपता भी देख सके। वैज्ञानिक तौर पर निर्धारित तथ्य है कि मनुष्य इतने रेशों से बना हुआ है कि यदि उसके सभी रेशे खोल कर फैला दिये जाय तो पूरी पृथ्वी उससे कई बार लपेटी जा सकती है। लेकिन आइने में मनुष्य की ऐसी भी तस्वीरें दिखी हैं जिसमें कभी एक मुट्ठी चावल के लिए, कभी कुछ सिक्कों के लिए वह अपनी देह ही नहीं जमीर भी बेचता रहता है। आदमी, आदमी का खून भी पी रहा है। एक आदमी की सुरक्षा सैकड़ों वाहन पर लदा असंख्य आदमी जुता पड़ा है। व्यक्ति में अगर लिंग-भेद की दृष्टि से देखें, आदमी आदमी पर इस तरह टूट रहा है जैसे कोई बाज किसी गौरेया पर। जैविक श्रेणी की दृष्टि से एक श्रेणी के जीव अर्थात् मानव-मानव में इतना अंतर क्यों आया, केन्द्रीय चिंता का विषय है। एक शायर ने लिखा था -

इंसान के होते हुए, इंसान का ये हश्र, देखा नहीं जाता है, मगर देख रहा हूँ।

प्रकृति ने हर मनुष्य को शक्ति व प्रतिभा देने में कोई भी पक्षपता नहीं किया है। लेकिन आदमी-आदमी में अंतर है। हमारा मानना है कि आदमी की यह दुर्गति आदमी के ही कारण है। शिक्षा व ज्ञान के आरक्षण के माध्यम से सबल सुजानों ने अपने स्वार्थ के लिए शेष जन को पशुवत् बना दिया। मनुष्यों की बड़ी संख्या को बौद्धिक रुप से अकिंचन बनाकर दो पाया होते हुए भी कमर तोड़ कर उसे चौपाया बना दिया। ''भज गोविन्दम् , भज गोविन्दम् मूढ़ मते'' का भजन कराकर वास्तव में मनुष्य को मूढ़ता की ओर ढकेला गया। यह हमारा इतिहास ही नहीं रहा है बल्कि यह हमारा वर्तमान भी है। कुछ लोगों ने अपने देव गणेश को दूध पिलाकर करोड़ों बच्चों को रात को बिना दूध पिलाये सुला दिया। उन्हीं लोगों ने बुद्ध जयंती के अवसर पर परमाणविक विस्फोट करने का समुचित अवसर चुना। गणेश को दूध पिलाने वालों ने नारा दिया 'जय विज्ञान' का। आम आदमी भ्रम का शिकार हुआ। मनुष्य को पूरी ऊर्जा का मनुष्य बनाने के लिए उसे सभी बंधनों से मुक्त कर चिंतन का एक महा आकाश देना पड़ेगा। नियतिवादी ऐसा कभी होने नहीं देंगे। उनके उलट हमारी प्रतिज्ञा है कि हम मानेंगे भी नहीं और अपने लिए चिंतन का महाआकाश ढूंढ़ कर रहेंगे।

पूरे मानवीय इतिहास में मनुष्य के चिंतन को उतना स्वतंत्र चिंतन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 'बुद्ध' देते हैं। बुद्ध ने उद्घोष किया कि पुरानी परम्राओं, पुरानी पुस्तकों, राजाओं, गुरुओं सहित मेरी बात को भी कभी सत्य के रुप में स्वीकार मत करना जब तक कि तुम अपने तर्क-विवेक व अनुभव की कसौटी पर उसे परख नहीं लेना। बुद्ध की देसना है कि हर मनुष्य बुद्धांकुर पैदा होता है और उसे अपने यत्न से बुद्धत्व की ओर यात्रा करनी होती है। बुद्ध का मार्ग मनुष्य को छोटा नहीं बनाता बल्कि उसे उसकी महानता का दर्शन कराकर वैयक्तिक उत्थान के लिए उसे प्रोत्साहित करता है। अगर मनुष्य बड़ा बनना चाहता है तो उसे उस महामार्ग पर चलना होगा जिसे बुद्ध ने मानवता के समक्ष प्रस्तुत किया। मार्ग का चयन मनुष्य को करना है। अशोक महान् , महापंडित राहुल सांकृत्यायन, बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे अनगिनत लोगों ने महामार्ग पर चल कर महानता प्राप्त किया है।

अशोक मिशन, वाराणसी विगत 25 वर्षो से अपने सीमित साधनों के माध्यम से सम्पूर्ण समाज को महामार्ग पर चलने का आह्वान करता रहता है। हमें अल्प संतोष भी है कि एक कारवां आकार लेता दिख रहा है। मनुष्यता को उसके पूरे वैभव व उत्कर्ष पर पहुँचाने हेतु जिस मुक्ताकाश की आवश्यकता है वह सिर्फ बुद्ध के धम्म में है। हमारा निश्चित मत है कि बिना देर किए बुद्ध मार्ग पर अग्रसर होना पड़ेगा। हमें बड़ा बनना पड़ेगा - किसी ने ठीक कहा है -

घटे अगर तो एक मुश्तेखाक है इन्साँ, बढ़े तो बुसअते कौनैन मे समा न सके।

□

21 अक्टूबर 09 को वाराणसी, कचहरी के अम्बेडकर पार्क में आयोजित धम्म दीक्षा दिवस समारोह में उपस्थित अतिथि एवं सामाजिक कार्यकर्तागण।
14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म छोड़कर समता समानता बन्धुत्व पर आधारित बौद्ध धर्म को अपने 10 लाख अनुयायिओं के साथ स्वीकार किया था.

6 दिसम्बर 09 को वाराणसी स्थित अम्बेडकर पार्क, कचहरी पर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अ.भा.अनु.जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आयोजित डा. अम्बेडकर का मिशन और हम सबका उत्तरदायित्व विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई एवं संगठन का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ।
इस अवसर पर मंच पर आसीन (बाएं से) मंडल आयुक्त श्री एन.एस. रवि, श्री गुरुदर्शन सिंह, डीआईजी श्री पी.सी. मीणा एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत परिषद श्री राजेन्द्र प्रसाद.

सामाजिक परिवर्तन, उदारीकरण और साहित्य पर संगोष्ठी

अशोक मिशन एजुकेशनल सोसायटी और सर्जना साहित्य के संयुक्त तत्वाधान में 17 नवम्बर 09 को सामाजिक परिवर्तन, उदारीकरण और साहित्य पर संगोष्ठी हुई। अशोक मिशन स्कूल, शिवपुर के जयराम प्रियदर्शी सभागार में आयोजित इस गोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रख्यात दलित चिंतक, साहित्यकार एवं बयान मासिक पत्रिका के संपादक श्री मोहनदास नैमिशराय थे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सर्वधर्म समन्वय आयोग नई दिल्ली के निदेशक डा.एम.डी. थामस थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता की श्री रवीन्द्र राम ने जो यूनियन बैंक अ.पि.वर्ग क.क. संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वक्ताओं में डा. एम.पी. अहिरवार, प्रो. संजय कुमार, श्री मूलचंद सोनकर, डा. संजय श्रीवास्तव, डा. रामसुधार सिंह, डा. गोरखनाथ, श्री जवाहर लाल कौल "व्यग्र" प्रमुख थे।

अपने संबोधन में श्री नैमिशराय ने कहा कि भारतीय समाज में कुछ बदला है परन्तु बहुत कुछ नहीं बदला है। आज भी निचली पायदान का आदमी निचली पायदान पर ही खड़ा है और तमाम योजनाओं के बावजूद उपेक्षित है। आज भी दलित एवं पिछड़े सम्मान रहित है और महिलाएं अवसरों और अधिकारों से उपेक्षित हैं। हमें सचमुच यदि राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है तब निचले पायदान पर खड़े लोगों को पूरा सम्मान और भागीदारी देनी होगी। सभा के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र राम ने कहा कि समाज का सुन्दरीकरण करना होगा, लेकिन यह किसी सरकारी योजना की तरह संभव नहीं है। बल्कि हर आदमी अपने बगल में खड़े उपेक्षित आदमी को साथ लेकर चलने का संकल्प करें। हम अपने बंटवारे को खत्म करें। निसंदेह सब कुछ बदल जाएगा। सभी वक्ताओं ने सभा में अपने विचार रखें। कार्यक्रम का कुशल संचालन डा. ओमलता पाण्डेय ने किया। अंत में अशोक मिशन स्कूल की अध्यक्षा श्रीमती शोभना आनंद ने सबका आभार व्यक्त किया।